

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोणडा दिनांक 05.06.2021

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-51 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुनीता पत्नी पटवारी निरो नायक पुरवा मौजा भरपुर थाना इटियाथोक जनपद गोणडा के कब्जे से 20 लीरो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-176/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना कोरो देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम दुलारी पत्नी प्रेमलाल निरो धनहर थाना कोरो देहात जनपद गोणडा के कब्जे से 10 लीरो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-220/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुधरा देवी पत्नी किशनदेव निरो खटिकन पुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोणडा के कब्जे से 10 लीरो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-119/21, 02. रामपुजारी पुत्र नरेन्द्र निरो खटिकनपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोणडा के कब्जे से 20 लीरो अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-120/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दुर्गा सोनकर पुत्र रंग बहादुर सोनकर निरो चौबेपुर सेहरिया थाना परसरामपुर जनपद बस्ती के कब्जे से 20 लीरो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-150/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।